मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003 (चैत्र 7, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001;
(ख) वित्त लेखे वर्ष 2000-2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 अक्टूबर, 2000 तक) तथा (1 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक); एवं
(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फंगस के कारण सागौन के जंगल नष्ट होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अजय विश्नोई, नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, जबलपुर स्थित राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय में वित्तीय अनियमितताएं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, दमोह जिले में अनेक हत्याएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सविता दीवान, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद स्थित नर्मदा महाविद्यालय के मैदान में बैलगाड़ी प्रतियोगिता से परीक्षा में बाधा उत्पन्न होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश की जेलों में बंदी कैदियों के मानदेय पर मिलने वाली ब्याज राशि का दुरुपयोग होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रंजीत सिंह गुणवान, सदस्य, राजगढ़ स्थित जल शोधन प्रयोगशाला द्वारा जल में फ्लोराइड का परीक्षण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में निर्धारित मापदंड का पालन न किये जाने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के दक्षिण वन मंडल में एक बीड़ी फर्म द्वारा अवैध रूप से तेंदूपत्ता एवं लकड़ी का उपयोग किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मुंशीलाल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम धनखेड़ी में सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम मडोली निवासी व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, धार जिले में फ्लोराइडयुक्त पानी से बच्चों में विकलांगता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा अमानक स्तर की खाद वितरण किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल गांवों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(14) श्री मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम धमरा के पूर्व सरपंच को जिन्दा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सिंगोड़ा में आदिवासियों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन न दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम देवरी-पटना में निराश्रितों को पेंशन राशि न मिलने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राजघाट परियोजना के अंतर्गत नहरों में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री बंशीलाल जाटव, सदस्य, छतरपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री सुधाकर बापट, अहिरवार पर्वतलाल, धरमू राय, सदस्य, बीना में एक लिपिक द्वारा प्रताड़ना से आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री बृन्दावन बड़गइयां, सदस्य, सतना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक द्वारा भर्ती के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में चारे व पानी के अभाव में पशुओं की मौत होने की ओर राज्यमंत्री पशुपालन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कछारगांव में आदिवासी की जमीन के अभिलेख में हेराफेरी कर बेदखल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम देखर से पांच लोगों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने में अनियमितता होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री कंकर मुंजारे, मुंशीलाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, उज्जैन के भर्तृहरि गौशाला में दीवार गिरने से पांच श्रमिकों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, राजगढ़ जिले के शासकीय चिकित्सालय खिलचीपुर में नसबंदी आपरेशन के दौरान एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री प्रेमसिंह पटेल, सदस्य, खरगौन जिले के भीकनगांव से एक छात्रा के अपहरणकर्ताओं पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्रीमती सुधा जैन, श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, सागर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में दूषित भोज्य सामग्री खाने से कई गायों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री पशुपालन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के ग्राम सोहावल स्थित मंदिर से मूर्तियों की चोरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री मुंशीलाल, मुन्नासिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम चापक से एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नित्य निरंजन खम्परिया, श्रीमती विद्यावती पटेल, सदस्य, सतना वन मंडलाधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम आरीताजपुरा में ठेकेदार द्वारा खनिज रायल्टी की चोरी किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले में राजस्थानी भेड़ मालिकों द्वारा कृषकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) सर्वश्री बाबूलाल गौर, कमल पटेल, सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, विदिशा जिले की त्योंदा पुलिस द्वारा खदान में कार्यरत मजदूरों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक व सहायक संचालक द्वारा पूर्व सैनिकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, रामप्रताप सिंह, सदस्य, प्रदेश में आयोडीन रहित नमक के उपयोग से घेंघा रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम मुंडलाराम स्थित शिव मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री मुन्नासिंह, सदस्य, मुरैना के बिस्मिल नगर में शराब से भरा ट्रक लावारिस हालत में पाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री मुंशीलाल, सदस्य, बड़वानी जिले के ढोलिया कोर्ट में पेशी पर जा रहे कैदियों पर गोलीचालन से एक कैदी की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के हट्टा पुलिस द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री कमल पटेल, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, इंदौर के मराठी मोहल्ला स्थित शिवमंदिर में आरती के दौरान गोलीचालन से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बामसौली से एक लड़की का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम छैकुरी में चरनोई भूमि का पट्टा त्रुटिपूर्ण ढंग से वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पगारा बांध स्थित मंदिर से मूर्ति चोरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, खंडवा जिले की ग्राम पंचायत पिपरीरैयत के अंतर्गत वनकर्मियों द्वारा आदिवासी परिवारों के मकान उजाड़ कर नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, श्योपुर जिले के पालपुर रैंज में खैर कटाई के लिए मजदूरों को भुगतान न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री लालसिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम नानौन में खसरे का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, धार जिले के ग्राम चिचोली में चेचक का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग में पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता होने की ओर उप मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की शासकीय प्राथमिक शालाओं से छात्रों के नाम काटे जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री भारत सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ सत्तावनवां से एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्रीमती सविता दीवान, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

" विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे".

6. याचिका की प्रस्तुति

श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, गोविन्दगढ़ किले में पुनः सफेद शेर वापस दिलाये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

7. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 20 फरवरी, 2003 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 463) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि. (2) श्री डोमन सिंह नगपुरे, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 13 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना (निरसन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 19 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय 30 मि. (4) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (निरसन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 20 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इंदौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) विधेयक, 2003 (क्रमांक 21 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, आकस्मिक एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को शासकीय कर्मचारियों की भांति अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया जाये".

(2) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जावे".

(3) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

50 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से ब्लड बैंक स्थापित किया जावे".

भोपाल :
दिनांक : 27 मार्च, 2003

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा